Date: 19/11/2025 **GS2: International Relations**

यूएनएससी प्रस्ताव 2803 (2025) ट्रम्प गाजा योजना का समर्थन करता है

- 17 नवंबर 2025 को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) ने रेज़ोल्यूशन 2803 (2025) को अपनाया, जिसमें U.S. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के "गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान" का समर्थन किया गया, जिसे ट्रंप गाज़ा प्लान या 20-पॉइंट प्लान के नाम से जाना जाता है।
- रेज़ोल्यूशन के पक्ष में 13 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा, जबकि चीन और रूस ने वोट नहीं दिया।
- यह गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के लिए ग्लोबल अप्रोच में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जो अक्टूबर 2023 में इज़राइल पर हमास के हमले के बाद से जारी है।

ट्रंप गाज़ा प्लान को समझना

- प्रेसिडेंट ट्रंप ने 29 सितंबर 2025 को 20-पॉइंट पीस फ्रेमवर्क पेश किया, जिसमें फेज़्ड इंटरनेशनल सुपरविज़न के तहत गाज़ा को एक लंबे कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन से "डीरेडिकलाइज़्ड, टेरर-फ्री टेरिटरी" में एक स्ट्रक्चर्ड बदलाव का प्रस्ताव है।

1. फेज़ I: सीज़फ़ायर और होस्टेज एग्रीमेंट

- अक्टूबर 2025 की शुरुआत में सीज़फ़ायर लागू किया गया।
- हमास ने फ़िलिस्तीनी कैदियों के बदले होस्टेज को रिहा किया।
- गाज़ा से इज़राइली डिफ़ेंस फ़ोर्स (IDF) की कुछ हद तक वापसी।

2. बाद के फेज़: गवर्नेंस, सिक्योरिटी और रिकंस्ट्रक्शन

- गाज़ा का पूरी तरह से डीमिलिटराइज़ेशन।
- ट्रांज़िशनल गवर्नेंस बनाना।

- इंटरनेशनल मॉनिटरिंग में बिजली, पानी के सिस्टम, हॉस्पिटल और स्कूल जैसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकंस्ट्रक्शन।
- इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और जॉब्स बनाने के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाना।
- एक टेम्पररी टेक्नोक्रेटिक फ़िलिस्तीनी एडमिनिस्ट्रेशन जिसे वेरिफाइड लोकल लोग सपोर्ट करेंगे।
- सिक्योरिटी, एड डिलीवरी और लॉन्ग-टर्म स्टेबिलाइज़ेशन के लिए मज़बूत रीजनल इन्वॉल्वमेंट, खासकर पड़ोसी अरब देश।

बोर्ड ऑफ़ पीस (BoP)

UNSC रेज़ोल्यूशन 2803 गाज़ा के लिए ट्रांज़िशनल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बोर्ड ऑफ़ पीस (BoP) की स्थापना का स्वागत करता है।

- प्रेसिडेंट ट्रंप इसकी अध्यक्षता करेंगे।
- यह मैंडेट दिसंबर 2027 तक वैलिड है।
- रिकंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक रिकवरी और इंस्टीट्यूशनल सुधारों को कोऑर्डिनेट करता है।
- रोज़ाना के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक टेक्नोक्रेटिक फ़िलिस्तीनी कमेटी की देखरेख करता है।
- वर्ल्ड बैंक से गाज़ा के रीडेवलपमेंट के लिए एक डोनर-गवर्न्ड ट्रस्ट फंड बनाने का अनुरोध किया गया है।

इंटरनेशनल स्टेबिलाइज़ेशन फ़ोर्स (ISF)

यह रेज़ोल्यूशन BoP को एक टेम्पररी इंटरनेशनल स्टेबिलाइज़ेशन फ़ोर्स बनाने का अधिकार देता है, जो UN पीसकीपिंग ऑपरेशन नहीं है, लेकिन इसके लिए UN लेजिटिमेसी की ज़रूरत है।

ISF का मैंडेट

- सिक्योरिटी माहौल को स्थिर करना।
- आम लोगों की सुरक्षा करना और मानवीय पहुँच सुनिश्चित करना।
- डीमिलिटराइज़ेशन का समर्थन करना, हथियारबंद ग्रुप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना।
- जांची-परखी फ़िलिस्तीनी पुलिस यूनिट्स को ट्रेनिंग देना।
- संभावित योगदान देने वालों में अज़रबैजान, मिस्र, इंडोनेशिया, कतर और तुर्की शामिल हैं (हालांकि इज़राइल तुर्की की भूमिका पर एतराज़ करता है)।
- पहली तैनाती जनवरी 2026 तक होने की संभावना है।

स्टेकहोल्डर्स के जवाब

1. **हमास:** किसी भी तरह के इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रस्टीशिप का विरोध करता है। तर्क देता है कि ISF का निरस्त्रीकरण का आदेश पक्षपाती है, जिससे उसकी न्यूट्रैलिटी खत्म हो जाती है।

2. **इज़राइल:** इज़राइल डीमिलिटराइज़ेशन का समर्थन करता है लेकिन गवर्नेंस की भाषा को लेकर उसे कुछ आपत्तियाँ हैं।
3. **अरब देश:** डिप्लोमैटिक तरीके से प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। UAE बिना साफ़ कानूनी फ्रेमवर्क के सेना की तैनाती से इनकार करता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)

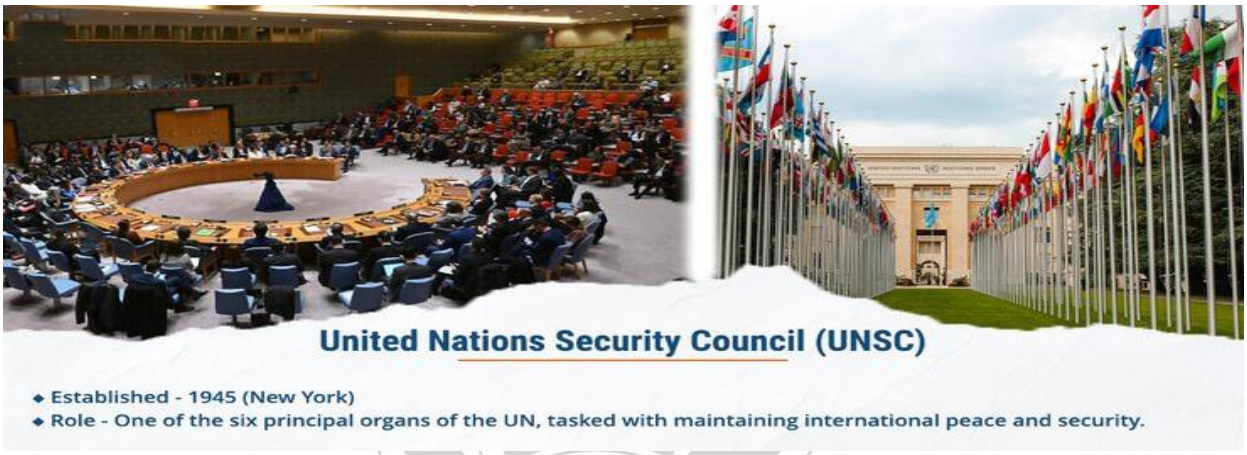

- यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC), जो 1945 में UN चार्टर के तहत बनी थी, यूनाइटेड नेशंस के छह मुख्य अंगों में से एक है। इंटरनेशनल शांति और सिक्योरिटी बनाए रखने की मुख्य ज़िम्मेदारी इसकी है, जिससे यह UN सिस्टम में सबसे ताकतवर फैसले लेने वाली बॉडी बन जाती है।
- UNSC के फैसले जनरल असेंबली के फैसलों से अलग, सभी UN सदस्य देशों पर लागू होते हैं।

रचना और मेंबरशिप

कुल सदस्य: 15

1. परमानेंट मेंबर (P5)

- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स
- वीटो पावर रखते हैं, जिससे उनमें से कोई भी किसी अहम प्रस्ताव को रोक सकता है।

2. नॉन-परमानेंट मेंबर (10)

- UN जनरल असेंबली द्वारा दो साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं।
- चुनाव हर साल सीक्रेट बैलेट से होते हैं; बिना विरोध वाले उम्मीदवारों के लिए भी दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत होती है।
- रीजनल एलोकेशन:
    - अफ्रीका + एशिया: 5 सीटें
    - पूर्वी यूरोप: 1 सीट
    - लैटिन अमेरिका और कैरिबियन: 2 सीटें
    - वेस्टर्न यूरोप और अन्य (WEOG): 2 सीटें

प्रेसीडेंसी

- सभी 15 सदस्यों के बीच हर महीने रोटेट होता है।
- प्रेसिडेंट एजेंडा तय करते हैं, मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, और स्टेटमेंट जारी करते हैं

मेंबरशिप का ऐतिहासिक विकास

- **1945:**
  - UN में 51 सदस्य थे।
  - UNSC में 11 सदस्य थे (5 परमानेंट + 6 नॉन-परमानेंट)।
- **1965 सुधार:**
  - UNSC में नॉन-परमानेंट सीटें 6 से बढ़ाकर 10 करके 15 सदस्य कर दिए गए।
  - तब से मौजूदा बनावट बनी हुई है।
- **अभी:**
  - UN में 193 सदस्य-देश हैं, लेकिन UNSC में अभी भी सिर्फ़ 15 हैं (कुल मेंबरशिप का 8% से भी कम)।

UNSC की शक्तियां और काम

UN चार्टर के तहत, UNSC ये कर सकता है:

- शांति के लिए खतरों या हमले के कामों का पता लगाना।
- झगड़ों के शांतिपूर्ण निपटारे की सिफारिश करना। • रोक लगाना (आर्थिक, ट्रैवल बैन, हथियारों पर रोक)।
- मिलिट्री एक्शन या पीसकीपिंग मिशन को मंज़ूरी देना।
- स्पेशल कमेटियों (जैसे, काउंटर-टेररिज्म कमेटी) के कामों को मंज़ूरी देना

UNSC वोटिंग प्रक्रिया

यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एक अलग वोटिंग सिस्टम फॉलो करती है, जो इस बात पर आधारित होता है कि किसी एजेंडा आइटम को प्रोसीजरल या सब्सटेंटिव मामले के तौर पर क्लासिफाई किया गया है या नहीं। यह क्लासिफिकेशन अपने आप में बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह वीटो पावर की भूमिका तय करता है।

1. प्रोसीजरल मामले

प्रोसीजरल मामले इस बात से जुड़े हैं कि काउंसिल कैसे काम करती है। उदाहरणों में शामिल हैं:

- एजेंडा अपनाना
- मीटिंग बुलाना, काम का क्रम तय करना
- चर्चा में हिस्सा लेने के लिए नॉन-मेंबर्स या एक्सपर्ट्स को बुलाना
- मुद्दों को सब्सिडियरी बॉडीज़ को भेजना
- 15 में से 9 वोटों की ज़रूरत होती है।

2. ज़रूरी मामले

ये ऐसे मुद्दे हैं जो शांति और सुरक्षा के मामलों में काउंसिल के असल फ़ैसले लेने से जुड़े हैं।

उदाहरणों में शामिल हैं:

- पाबंदियां लगाना
- शांति बनाए रखने या मिलिट्री कार्रवाई की इजाज़त देना
- चैप्टर VII के तहत शांति के लिए खतरा घोषित करना
- नए UN सदस्यों को शामिल करना
- झगड़ों, दखल या मैंडेट पर प्रस्ताव पास करना
- सभी P5 सदस्यों के सहमत वोटों सहित 9 वोटों की ज़रूरत होती है।
- इसका मतलब है कि कोई भी एक परमानेंट सदस्य फ़ैसले पर वीटो कर सकता है।

कौन तय करता है कि कोई मुद्दा प्रोसीजरल है या सब्सटेंसिव? — डबल वीटो

यहीं पर "डबल वीटो" या "टू-स्टेज वीटो" ज़रूरी हो जाता है।

- जब इस बात पर असहमति होती है कि कोई मामला प्रोसीजरल है या सब्सटेंसिव, तो क्लासिफिकेशन पर ही वोटिंग होती है।
- इस क्लासिफिकेशन वोट को एक सब्सटैंटिव मामला माना जाता है, जिसका मतलब है:
    - o इसके लिए 9 वोट + कोई P5 वीटो भी ज़रूरी नहीं है।
    - o इसलिए, एक परमानेंट मेंबर किसी चीज़ को प्रोसीजरल के तौर पर क्लासिफाई करने के फैसले को वीटो कर सकता है।
- एक P5 मेंबर पहले क्लासिफिकेशन (स्टेज 1) को वीटो कर सकता है और फिर बाद में खुद प्रस्ताव (स्टेज 2) को वीटो कर सकता है।
- इससे P5 को पूरे फैसले लेने के प्रोसेस को असरदार तरीके से कंट्रोल करने की काबिलियत मिलती है।

इस तरह, "डबल वीटो" का मतलब है:

1. यह तय करने के लिए वीटो कि मुद्दा सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल, और
2. खुद सब्सटैंटिव वोट पर वीटो।

भारत परमानेंट सीट का हकदार क्यों है

- दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी।
- पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी, बड़ी ग्लोबल पावर।
- 43 पीसकीपिंग मिशन—सबसे बड़े ट्रूप कंट्रीब्यूटर में से एक।
- यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (UDHR) को ड्राफ्ट करने में अहम भूमिका।
- 1/6 मानवता का प्रतिनिधित्व करता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता लाने वाला बड़ा कारक है।

• मानवीय सहायता, क्लाइमेट लीडरशिप और काउंटर-टेररिज्म में मज़बूत रिकॉर्ड।

UNSC के मुद्दे और आलोचनाएँ

1. P5 और वीटो की परेशान करने वाली भूमिका

• वीटो P5 को दूसरे 188 देशों की तुलना में "ज़्यादा बराबर" बनाता है।
• ग्लोबल एक्शन को रोकने के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है।
• उदाहरण:
  o रूस यूक्रेन, सीरिया, नॉर्थ कोरिया पर प्रस्तावों पर वीटो करता है।
  o US इज़राइल से जुड़े प्रस्तावों पर वीटो करता है।
• मानवीय संकटों के दौरान पॉलिसी पैरालिसिस की ओर ले जाता है।

2. आज की जियोपॉलिटिक्स को नहीं दिखाता है

• 1945 के वर्ल्ड ऑर्डर को दिखाता है, 21वीं सदी को नहीं। • इनका कम रिप्रेजेंटेशन:
  o अफ्रीका (55 देश, कोई परमानेंट सीट नहीं)
  o लैटिन अमेरिका
  o एशिया (सिर्फ़ चीन P5 मेंबर है)
• इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान जैसी उभरती ताकतें बाहर रहती हैं।

3. UNSC रिफॉर्म में रुकावटें

• UN चार्टर में बदलाव के लिए ज़रूरी है:
  o UNGA में दो-तिहाई बहुमत (129/193)।
  o P5 का कोई विरोध नहीं (P5 खुद रिफॉर्म को वीटो कर सकता है)।
• मेंबर-स्टेट की अलग-अलग राय।

UNSC रिफॉर्म में बातचीत करने वाले मुख्य ग्रुप

1. G4 ग्रुप

• ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया, जापान।
• परमानेंट मेंबरशिप के लिए एक-दूसरे की कोशिशों को सपोर्ट करना।
• अफ्रीका के रिप्रेजेंटेशन की वकालत करना।

2. L.69 ग्रुप

• डेवलपिंग देशों का ग्रुप (अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, SIDS)।
• परमानेंट और नॉन-परमानेंट दोनों सीटों में बढ़ोतरी की मांग करना। • बराबर रिप्रेजेंटेशन पर फोकस।

3. यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस (UfC) / कॉफी क्लब

• इसमें इटली, पाकिस्तान, स्पेन, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, कनाडा, वगैरह शामिल हैं।
• नए परमानेंट मेंबर जोड़ने का विरोध करता है।
• सिर्फ़ नॉन-परमानेंट सीटें बढ़ाने का सपोर्ट करता है।
• इलाके की दुश्मनी से मोटिवेटेड:
  o पाकिस्तान इंडिया का विरोध करता है।
  o इटली जर्मनी का विरोध करता है।
  o अर्जेंटीना ब्राज़ील का विरोध करता है।

UNSC रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है

- रिप्रेजेंटेशन की कमी लेजिटिमेसी को कमज़ोर करती है।
- डेवलपिंग देशों को ग्लोबल फैसले लेने से बाहर रखा गया है।
- अगर इंस्टीट्यूशन WWII के बाद की असलियत को दिखाते हैं तो UN मॉडर्न चैलेंज का असरदार तरीके से सामना नहीं कर सकता।

Date: 19/11/2025 **GS2: International Relations**

UNSC Resolution 2803 (2025) Endorsing the Trump Gaza Plan

- On **17 November 2025**, the **United Nations Security Council (UNSC)** adopted **Resolution 2803 (2025)** endorsing U.S. President **Donald Trump's "Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict"**, popularly known as the **Trump Gaza Plan** or the **20-Point Plan**.
- The resolution passed with **13 votes in favour**, **none against**, while **China and Russia abstained**.
- This marks a major shift in the global approach to the Gaza conflict, which has continued since Hamas's attack on Israel in **October 2023**.

Understanding the Trump Gaza Plan

- President Trump unveiled the **20-point peace framework** on **29 September 2025**, proposing a structured transition of Gaza from a prolonged conflict zone to a **"deradicalized, terror-free territory"** under phased international supervision.

1. Phase I: Ceasefire and Hostage Agreement

- A ceasefire was implemented in early October 2025.
- **Hamas released hostages** in exchange for **Palestinian detainees**.
- **Partial withdrawal** of Israeli Defense Forces (IDF) from Gaza.

2. Later Phases: Governance, Security & Reconstruction

- **Complete demilitarization** of Gaza.
- Setting up **transitional governance**.
- **Reconstruction of critical infrastructure** such as electricity, water systems, hospitals, and schools under international monitoring.
- Creation of a **Special Economic Zone** to attract investment and create jobs.
- A temporary **technocratic Palestinian administration** supported by vetted local personnel.

- Strong **regional involvement**, especially neighbouring Arab states, for security, aid delivery, and long-term stabilization.

Board of Peace (BoP)

UNSC Resolution 2803 **welcomes** the establishment of the **Board of Peace (BoP)** as the transitional administration for Gaza.

- **Chaired by President Trump**.
- Mandate valid until **December 2027**.
- Coordinates **reconstruction**, **economic recovery**, and **institutional reforms**.
- Supervises a **technocratic Palestinian committee** for day-to-day administration.
- The **World Bank** has been requested to create a **donor-governed trust fund** for Gaza's redevelopment.

International Stabilization Force (ISF)

The resolution authorises the BoP to raise a **temporary International Stabilization Force**, not a UN peacekeeping operation but requiring UN legitimacy.

Mandate of the ISF

- Stabilise the **security environment**.
- Protect civilians and ensure **humanitarian access**.
- Support **demilitarisation**, dismantling armed groups' infrastructure.
- Train **vetted Palestinian police units**.
- Potential contributors include **Azerbaijan, Egypt, Indonesia, Qatar, and Turkey** (though Israel objects to Turkey's role).
- First deployments likely by **January 2026**.

Stakeholder Responses

1. **Hamas:** Opposes any form of **international administration or trusteeship**. Argues ISF's disarmament mandate is **biased**, stripping it of neutrality.
2. **Israel:** Israel supports **demilitarization** but has reservations regarding governance language.
3. **Arab States :** Support the resolution diplomatically. The UAE refuses troop deployment without a clearer legal framework.

United Nations Security Council (UNSC)

- The **United Nations Security Council (UNSC)**, established in **1945 under the UN Charter**, is one of the **six principal organs** of the United Nations. It holds **primary responsibility for maintaining international peace and security**, making it the most powerful decision-making body within the UN system.
- UNSC decisions are **binding** on all UN member states, unlike those of the General Assembly.

Composition and Membership

Total Members: 15

1. **Permanent Members (P5)**
    - **China, France, Russia, the United Kingdom, the United States**
    - Possess the **veto power**, allowing any one of them to block a substantive resolution.
2. **Non-permanent Members (10)**

- Elected by the **UN General Assembly** for a **two-year term**.
- Elections are held annually via **secret ballot**; require a **two-thirds majority**, even for unopposed candidates.
- Regional allocation:
  - **Africa + Asia**: 5 seats
  - **Eastern Europe**: 1 seat
  - **Latin America & Caribbean**: 2 seats
  - **Western Europe & Others (WEOG)**: 2 seats

Presidency

- Rotates **monthly** among all 15 members.
- The President decides the **agenda**, chairs meetings, and issues statements.

Historical Evolution of Membership

- **1945**:
  - UN had **51 members**.
  - UNSC had **11 members** (5 permanent + 6 non-permanent).
- **1965 Reform**:
  - UNSC expanded to **15 members** by increasing non-permanent seats from 6 to 10.
  - Current composition persists since then.
- **Present**:

- UN has **193 member-states**, but UNSC still has only **15** (less than 8% of total membership).

Powers and Functions of the UNSC

Under the UN Charter, the UNSC can:

- Determine **threats to peace** or **acts of aggression**.
- Recommend **peaceful settlement** of disputes.
- Impose **sanctions** (economic, travel bans, arms embargoes).
- Authorise **military action** or **peacekeeping missions**.
- Approve mandates of special committees (e.g., Counter-Terrorism Committee).

UNSC Voting Procedure

The United Nations Security Council follows a **distinct voting system** based on whether an agenda item is classified as a **procedural** or **substantive** matter. The classification itself is critical because it determines the role of the **veto power**.

1. Procedural Matters

Procedural matters deal with **how** the Council functions. Examples include:

- Adoption of the **agenda**
- **Calling meetings**, deciding the order of business
- **Inviting non-members** or experts to participate in discussions
- **Referring** issues to subsidiary bodies
- Requires **9 out of 15 votes**.

2. Substantive Matters

These are issues that deal with the **actual decision-making** of the Council in matters of peace and security. Examples include:

- Imposing **sanctions**
- Authorising **peacekeeping or military action**
- Declaring a **threat to peace** under Chapter VII
- Admission of new UN members
- Passing **resolutions** on conflicts, interventions, or mandates
- Requires **9 votes**, **including the concurring votes of all P5 members**.
- This means **any one permanent member can veto** the decision.

Who Decides Whether an Issue Is Procedural or Substantive? — The Double Veto

This is where the **"double veto"** or **"two-stage veto"** becomes relevant.

- When there is **disagreement** on whether a matter is procedural or substantive, the **classification itself is put to a vote**.
- **This classification vote is treated as a substantive matter**, meaning:
  - It also requires **9 votes + no P5 veto**.
  - Therefore, a permanent member can **veto the decision to classify** something as procedural.
- A P5 member can first **veto the classification** (stage 1) and then later **veto the resolution itself** (stage 2).
- This gives the P5 the ability to effectively **control the entire decision-making process**.

Thus, the "double veto" means:

1. **Veto to decide whether the issue is substantive or procedural**, and
2. **Veto on the substantive vote itself**.

Why India Deserves a Permanent Seat

- World's **largest democracy**.
- **Fifth-largest economy**, major global power.
- **43 peacekeeping missions**—one of the largest troop contributors.
- Significant role in drafting the **Universal Declaration of Human Rights (UDHR)**.
- Represents **1/6th of humanity**, major regional stabiliser.
- Strong record in humanitarian aid, climate leadership, and counter-terrorism.

Issues and Criticisms of the UNSC

1. Troubling Role of P5 and the Veto

- Veto makes P5 "more equal" than other 188 states.
- Used frequently to block global action.
- Examples:
  - **Russia** vetoing resolutions on **Ukraine, Syria, North Korea**.
  - **US** vetoes on **Israel-related resolutions**.
- Leads to **policy paralysis** during humanitarian crises.

2. Doesn't Reflect Today's Geopolitics

- Reflects **1945 world order**, not the 21st century.
- Under-representation of:
  - **Africa** (55 countries, no permanent seat)
  - **Latin America**
  - **Asia** (only China is a P5 member)
- Emerging powers like India, Brazil, Germany, and Japan remain outside.

3. Obstacles to UNSC Reform

- Amending the UN Charter requires:
  - **Two-thirds majority** in UNGA (129/193).
  - **No P5 opposition** (P5 can veto reform itself).
- Divergent member-state positions.

Key Negotiating Groups in UNSC Reform

1. G4 Group
   - **Brazil, Germany, India, Japan**.
   - Support each other's bids for **permanent membership**.
   - Advocate representation for **Africa**.
2. L.69 Group
   - Group of **developing countries** (Africa, Latin America, Asia, SIDS).
   - Demand expansion in both **permanent and non-permanent seats**.
   - Focus on equitable representation.
3. Uniting for Consensus (UfC) / Coffee Club
   - Includes **Italy, Pakistan, Spain, South Korea, Argentina, Canada**, etc.
   - Opposes adding new permanent members.
   - Supports only increasing **non-permanent seats**.

- Motivated by regional rivalries:
    - Pakistan opposes India.
    - Italy opposes Germany.
    - Argentina opposes Brazil.

Why UNSC Reform is Necessary

- Lack of representativeness undermines **legitimacy**.
- Developing countries excluded from global decision-making.
- UN cannot address modern challenges effectively if institutions reflect **post-WWII realities**.